पत्र संख्या–6 / योजना–01–45 / 2016गृ0आ0........................... /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जुलाई, 2016

विषयः– बिहार राज्य के सभी जिलों में **Cyber Crime and Social Media Unit** की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय के लिए कुल लागत राशि ₹ 205.20 लाख (दो करोड़ पाँच लाख बीस हजार रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 205.20 लाख (दो करोड़ पाँच लाख बीस हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–654 / आपूर्ति दिनांक–17.06.2016 के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में Cyber Crime and Social Media Unit की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय के लिए कुल लागत राशि ₹ 205.20 लाख (दो करोड़ पाँच लाख बीस हजार रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 205.20 लाख (दो करोड़ पाँच लाख बीस हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक जिला में उपकरणों की संख्या एवं प्रति अद्द दर निम्नलिखित हैः–

Sl.	Name of Equipments	No. of Equipments	Estimated Rate per unit	Estimated Total cost ₹ In Lakh
1.	Work station desktop	04	0.40	1.60
2.	Laptop	02	0.50	1.00
3.	CDR/SDR analysis software	01	0.80	0.80
4.	Printer/scanner/copier	01	0.20	0.20
5.	Mobile forensic software (Mobile edit forensic)	01	0.50	0.50
6.	Android recovery software	01	0.20	0.20
7.	Write blocker (IDE/SATA/USB)	01	0.40	0.40
8.	Digital evidence forensic analysis software	01	0.40	0.40
9.	Digital evidence acquisition software	01	Free	0.00
10.	Broadband, Wi-fi	01	0.03	0.03
			Total	**5.13**
Grand total =40X5.13=205.20 Lakh (Two crore five Lakh Twenty Thousand Only)				

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 205.20 लाख (दो करोड़ पाँच लाख बीस हजार रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–"2055–पुलिस–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु" विपत्र कोड–P2055001150102 एवं विषय शीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6 / योजना–01–45 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0– 2 / टि0 पर दिनांक–13.07.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–45 / 2016गृ0आ0.. 5480 / पटना, दिनांक 19 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7

सरकार के प्रधान सचिव